न्यायालय: – माखनलाल झोड़, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृं<u>खला न्यायालय – बैहर</u>

S.T./47/2017 Filling No. ST/ 102/2017 CNR -MP-5005000248-2017 संस्थित दिनांक— 28.03.2016

// विरूद्ध //

डॉंंंंंंंंंंं मधुसुदन तुरकर पिता कमल सिंह तुरकर उम्र 45 वर्ष निवासी—पोस्ट आफीस के सामने तहसील बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — <u>3</u>

श्री विजय गुप्ता अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त—डाँ० मधुसुदन तुरकर।

(धारा 232 द.प.सं. के तहत दिनांक 20 फरवरी 2018 को पारित)

1. अभियुक्त डॉ० मधुसुदन पर आरोप है कि उसने दिनांक 08.09. 2015 को करीब 10:00 बजे ग्राम बिरसा अंतर्गत थाना बिरसा में स्वय के क्लिनिक में उपचार के लिए आयी अवयस्क अभियोक्त्री आयु 17 वर्ष पुत्री ओखतराम का परीक्षण करते समय धारा 375 (क) भा.द.वि. में अभिव्यक्त अनुसार कृत्य बार—बार कर अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया। जो धारा 376 (2), (ढ) भा.द.वि. एवं धारा 5 (ङ)/6 लेंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन दण्डनीय अपराध है, का विचारण किया गया है। 2. मामले में स्वीकृत तथ्य यह है कि श्रीमती गीता बिसेन (अ.सा.1) का कहना है कि अभियुक्त का नाम मधुसुदन है, डॉक्टर का व्यवसाय करता

है। टीकाराम कुर्मी (अ.सा.18) ने दिनांक 08.09.2015 को 18:40 बजे साक्षीगण

के समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर्तारी पंचनामा प्र.पी. 20 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के सी से सी भाग पर अभियुक्त के डी से डी भाग पर साक्षी रूपलाल के हस्ताक्षर है तथा इसी साक्षी ने अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण डाँ० मेश्राम द्वारा किया गया था। गिरफ्तार करने की सूचना अभियुक्त के परिजन पत्नि श्रीमती मधुसुदन को दी थी।

- अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 08.09.2015 को अभियोक्त्री पिता ओखतराम ने थाना आकर लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि उसकी 2-3 दिनों से तबीयत खराब थी वह दिनांक 08.09.2015 को वह अपने पापा के साथ बिरसा आयी थी, पापा ने कहा कि डॉ. मधुसुदन के क्लीनिक में जाकर ईलाज करवा लो मैं जरूरी काम से आता हूं कहकर चले गये। वह अकैली डॉ. मधुसुदन तुरकर के क्लीनिक जो कि केन्द्रीय ग्रामीण बैंक के पास है, गई उस समय क्लीनिक में डॉ. मधुसुदन अकेले बैठे थे, उसने कहा उसे बुखार है, ईलाज कर दो तब डॉ. मधुसुदन ने कहा कि केबिन में अंदर चलो, केबिन में गई, डॉ. मधुसुदन ने चेक किया, बाद में बुरी नियत रखकर उसके पहने कपड़ों के अंदर हाथ डालकर चेक करता हूं कहकर उसके चेस्ट को दबाया और सलवार ढीला करवाकर पेन्टी के अंदर हाथ डालकर पेशाब की जगह में अंगुली डाली, दर्द होने से मना की तो डॉ. मधुसुदन ने बोला कि चेक करने दो फिर पुनः हाथ डाला तो वह खड़ी हो गई, डॉ. मधुसुदन उसके गाल को दूने लगा, वह घबराकर धक्का देकर बाहर आ गई बोली उसे जाना है दवा तो तब डॉ. मधुसदन ने इंजेक्शन लगवाने के बात कहने लगा, दवाई देने पर स्कूल आ गई और स्कूल में प्रिंसीपल श्रीमती रमा कनेरे को घटना बताई, पापा के साथ थाना रिपोर्ट करने आयी कार्यवाही की जावे।
- 4. उक्तानुसार रिपोर्ट लेख करने पर पुलिस थाना बिरसा द्वारा प्रथम सूचना लेख कर अपराध कमांक 93/15 दिनांक 08.09.2015 धारा 376 (2)(इ), 354 (क) भा.द.वि. के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध अपराध कायम कर,

अभियोक्त्री का शारीरिक परीक्षण कराया गया, साक्षीगण के कथन कराए गए, नक्शामौका बनाया गया, पटवारी के द्वारा नक्शा तैयार करवाया गया है, जप्ती कार्यवाही की गई, अभियुक्त को गिरप्तार किया गया, उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, गिरप्तारी की सूचना दी गई, पश्चात् अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

5. अभियुक्त को धारा 376 (2) (ढ) भा.द.वि. एवं धारा 5 (ङ) / 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत तैयार कर पढ़कर, सुनाए, समझाए जाने पर अभियुक्त ने आरोप सुन, समझकर अपराध करना अस्वीकार किया, अभिवाक् लेख किया गया। अभियुक्त ने धारा 313 द.प्र. सं. के परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना, झूटा फंसाया जाना व्यक्त किया।

6. <u>प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि</u> :--

1— क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.09.2015 को करीब 10:00 बजे ग्राम बिरसा अंतर्गत थाना बिरसा में स्वयं के क्लिनिक में उपचार के लिए आयी अवयस्क अभियोक्त्री आयु 17 वर्ष पुत्री ओखतराम का परीक्षण करते समय धारा 375 (क) भा.द.वि. में अभिव्यक्त अनुसार कृत्य बार—बार कर अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया ?

विचारणीय प्रश्न का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

7. अभियोक्त्री (अ.सा.11) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि आरोपी को जानती है उसने इस वर्ष कक्षा बारहवीं की परीक्षा दी है। उसकी जन्म तारीख 05.06.1998 की है इस समय वह 19 वर्ष की हो रही है। घटना दिनांक 05 सितम्बर 2015 है। घटना 10:00 बजे ग्राम बिरसा में उपस्थित आरोपी डॉ. मधुसुदन के क्लीनिक की है। वह अभियुक्त के क्लीनिक फीवर होने से अकेली गई थी। पद कमांक 2 में कथन किया है कि उसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उपस्थित आरोपी ने ईलाज किया था, ईलाज के समय अनइज़ीली फील नहीं हुआ था। साक्षी ने प्राचार्य महोदया को घटना के बारे में नहीं बताया। मैडम से मिलने के बाद साक्षी थाना बिरसा गई थी। प्र.पी. 13 का आवेदन

साक्षी ने थाना बिरसा में दिया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है तब आवेदन कोरा था।

- 8. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 3 में साक्ष्य दी है कि प्र.पी. 13 का आवेदन देने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखी थी जो प्र.पी. 14 है जिसके बी से बी भाग पर रिपोर्ट लिखने वाले ने साक्षी के हस्ताक्षर कराए थे, पुलिस ने थाने में बयान नहीं लिये, सी.डी. नहीं बनाई थी। थाना बिरसा ने बैहर के मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान कराए थे जिस पर साक्षी ने हस्ताक्षर कराए थे, कथन अभिलेख पर है। पुलिस ने मुलाहिजा आवेदन भरकर बालाघाट अस्पताल भेजा था जहाँ महिला चिकित्सक ने साक्षी के शरीर की जाँच की थी। मजिस्ट्रेट साहब को क्या बयान दिया था आज याद नहीं है। साक्षी टेंशन में थी। पुलिस ने मौकानक्शा साक्षी के समक्ष नहीं बनाया था, किंतु प्र.पी. 17 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। साक्षी के समक्ष पटवारी ने नक्शामौका नहीं बनाया था, नजरीनक्शा प्र.पी. 9 पर हस्ताक्षर है।

पर आवाज न आना कथन किया है। अभियोजन पक्ष को अलग से स्पीकर की व्यवस्था करने हेतु निर्देश करने के पश्चात् भी पालन नहीं किया है।

- 10. मुख्य कथन के पद कमांक 5 में साक्षी ने सूचक प्रश्न के उत्तर में इंकार किया है कि साक्षी के कथन की सी.डी. पुलिस ने बनाई थी। यह इंकार किया है कि उस सी.डी. में साक्षी की आवाज है। अभियुक्त साक्षी का रिश्तेदार होना इंकार किया है। साक्षी का अभियुक्त से राजीनामा होना इंकार किया है। वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि स्कूल रिकार्ड में उसकी जन्म तारीख किस आधार पर दर्ज की है वह आज नहीं बता सकती। यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने साक्षी के साथ कोई बुरी हरकत नहीं की।
- 11. श्रीमती गीता बिसेन (अ.सा.१) के मुख्य कथन में पद कमांक 2 में साक्ष्य है कि उसके पति ने अभियोक्त्री के साथ हुई घटना नहीं बताई। अभियोक्त्री ने उसके साथ हुई घटना साक्षी को नहीं बताई। पुलिस ने पूछताछ नहीं की, बयान नहीं लिये थे। सूचक प्रश्न के उत्तर में प्र.पी. 1 का कथन पुलिस को देना इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में आयी साक्ष्य को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
- 12. ओखतराम (अ.सा.2) ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि वह उपस्थित आरोपी को जानता है। अभियोक्त्री साक्षी की पुत्री है। साक्षी को घटना की जानकारी नहीं है। अभियोक्त्री ने घटना के बारे में साक्षी को जानकारी नहीं दी। साक्षी अभियोक्त्री के साथ थाना गया था। साक्षी की पुत्री के स्कूल की मैडम ने साक्षी से कहा कि अभियोक्त्री के साथ थाना चले जाओ इसलिए वह थाने गया था। रास्ते में अभियोक्त्री ने साक्षी को कुछ नहीं बताया। अभियोक्त्री को लेडिस पुलिस थाने के अंदर ले गई थी, अंदर क्या हुआ नहीं मालूम। घटना के बारे में अभियोक्त्री ने साक्षी को कोई बात नहीं बताई थी। पुलिस ने बयान

नहीं लिये थे। सूचक प्रश्न के उत्तर में प्र.पी. 2 के पंचनामा के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है जो थाने में किए थे। प्र.पी. 3 का ए से ए भाग का कथन " खेती किसान 🌉 कथन है " का देना इंकार किया है। यह इंकार किया है कि आरोपी को बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा है। रूपलाल बिसेन (अ.सा.3) ने साक्ष्य दी है कि आरोपी को जानता 13. है, अभियोक्त्री साक्षी की भतीजी है। पुलिस ने कोई कार्यवाही साक्षी के समक्ष नहीं की। प्र.पी. 4 का जप्तीपत्र लिखा हुआ था किंतु साक्षी के समक्ष लिखापढी नहीं हुई। प्र.पी. 4 पर साक्षी के हस्ताक्षर है जो थाने में किए थे। आरोपी से चिकित्सा प्रमाण पत्र, लाईसेंस जप्त नहीं किया था। जप्तीपत्र प्र.पी. 5 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। दवाई का पत्ता, दसवीं की हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा अंकसूची सह—प्रमाण पत्र जप्त नहीं किया था किंतु जप्ती पत्र प्र.पी. 6 पर साक्षी के हस्ताक्षर है। घटना के संबंध में मुख्य कथन में साक्ष्य नहीं है। सूचक प्रश्न के उत्तर में प्र.पी. 8 का ए से ए भाग का कथन " दिनांक 08.09.2015 — — गलत हरकत की " का देना इंकार किया है। अभियुक्त से साक्षी का राजीनामा नहीं हुआ है।

14. राजकुमार मर्सकोले (अ.सा.4), श्रीमती रमा कनेरे (अ.सा.5) प्राचार्य डॉ. दर्शना चतुरमोहता (अ.सा.6), डॉ. राजरानी खरे (अ.सा.8), डॉ. डी.के. राऊत (अ.सा.7), डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.10), श्रीमती सुलेखा मरकाम (अ.सा.9), धरम शिव (अ.सा.12), रामप्रसाद चौधरी (अ.सा.13), शिवप्रसाद पटले (अ.सा.14), सुश्री आशा राहंगडाले (अ.सा.15), कुमारी चंद्रकला बंजारे महिला आरक्षक कमांक 1232 (अ.सा.17), टीकाराम कुर्मी (अ.सा.18) उप निरीक्षक एवं अमृत तिग्गा (अ.सा.16) निरीक्षक के कथनों में आरोपित अपराध को प्रमाणित किए जाने योग्य उपलब्ध नहीं है। अभियोक्त्री एवं उसके परिजनों के पक्षद्रोही हो जाने से राज्य आरोपित अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है।

- 15. अतः संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना के आधार पर धारा 376 (2) (ढ) भा.द.वि. एवं धारा 5 (ङ)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध प्रमाणित न होने से आरोपी डाॅ० मधुसुदन तुरकर को उक्त अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 16. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त कर अपास्त किए जाते है।
- 17. अभियुक्त दिनांक 30.10.2015 से दिनांक 25.11.2015 तक अभिरक्षा में रहा है उसकी कुल न्यायिक अभिरक्षा की अवधि **27 दिवस** है। धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण—पत्र बनाया जावे।
- 18. अभिलेख पर संलग्न प्र.पी. 26 की असल अंकसूची अभियोक्त्री को दी जाकर पावती ली जावे। प्र.पी. 26 की प्रमाणित प्रतिलिपि सूची में संलग्न की जावे।
- 19. मामले में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे। जप्त दस्तावेज असल स्कूल को पूर्व में प्रदत्त किए जा चुके है जिनके संबंध में पृथक् से आदेश किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

सही / – (माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर मेरे बोलने प्र टंकित किया गया।

सही / — (माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर